भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5778

सोमवार, 30 मार्च, 2026/ 09 चैत्र, 1948 (शक)

ईएलआई योजना

5778. श्री विजय बघेलः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री भोजराज नागः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री आलोक शर्माः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2026 तक देश में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक पहली बार कार्यरत होने वाले कर्मचारियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो दाहोद, पाली, देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और जालोर, सिरोही तथा जलगांव जिलों सहित तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) पात्र पहली बार कार्यरत होने वाले कामगारों के पंजीकरण का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पोर्टल पर अनिवार्य वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम ने कार्यबल में आने वाले नए लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत में किस प्रकार सुधार किया है;

(ङ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र पहली बार कार्यरत होने वाले कर्मचारियों को 7,500 रुपये की पहली किस्त वितरित करने में हुई विशिष्ट प्रगति का उक्त जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विनिर्माण क्षेत्र को देश में अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विस्तारित चार वर्षीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो उक्त जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्ष 2026 में आधार संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) फाइलिंग के माध्यम से शुद्ध नए रोजगार सृजन का सत्यापन किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज) केंद्रीय सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 2025, को विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने, रोज़गार क्षमता बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना" (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया था। यह योजना दिनांक 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और इसका बजटीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है।

योजना के भाग-क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों प्रतिष्ठानों के पहली बार रोजगार में आने वाले कर्मचारी ₹15,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे। यह प्रोत्साहन, रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किश्तों में देय होगा। ₹7,500 तक की पहली किश्त छह महीने की सतत रोजगार अवधि पूरी होने के बाद वितरित की जाएगी। दूसरी किश्त की पात्रता, बारह महीने का रोजगार पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बनेगी।

यह दूसरी किश्त एक निश्चित अवधि के लिए उचित बचत साधन/ बचत खाते में जमा की जाएगी।

भाग-ख, कम से कम 6 महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त रोज़गार के लिए ₹3,000 प्रति माह तक प्रदान करके नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है।

यह योजना 2 वर्ष के लिए सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र हेतु प्रोत्साहन की अवधि 4 वर्ष होगी।

यह योजना मांग-संचालित है; इसलिए, कोई राज्य-विशिष्ट या निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य पूर्व-निर्धारित नहीं किए गए हैं।

इस योजना और इसके प्रावधानों का देश भर में व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य के श्रम और उद्योग मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से और ईपीएफओ, ईएसआईसी और सीएलसी अधिकारियों को शामिल करते हुए राज्य क्रॉस-फंक्शनल टीमों का गठन करके राज्य-स्तरीय आउटरीच को प्राथमिकता दी है। ये टीमें कार्यशालाएं, वेबिनार और हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कर रही हैं, और जमीनी स्तर पर जागरूकता तथा भागीदारी को मजबूत करने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग जगत के साथ सीधे तौर पर जुड़ रही हैं।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय (रियल-टाइम) निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

समझने में आसानी के लिए इस पोर्टल पर, विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), योजना दिशानिर्देश और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं।
